न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण

हरी उर्फ हरीशंकर पुत्र रामदीन
जाति–ब्राहम्ण, निवासी–हुब्बलाल
का पुरा, मौजा–पढ़ावली, तहसील व जिला–मुरैना

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

श्री .... द्वारा आज दि. .... को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपर आयुक्त जिला–मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 102/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 03/05/2017 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त विवादित आदेश एवं आवेदकगण के विरूद्व की गयी कार्यवाहीं अवैध, अनियमित एवं मनमानी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, आवेदकगण ने किसी भी शासकीय भूमि से कोई उत्खनन नहीं किया है आवेदकगण के विरूद्व उत्खनन किया जाना किसी भी वैध साक्ष्य से प्रमाणित न होते हुये पारित किये गये विवादित आदेश न्यायायीक प्रक्रिया के पूर्णतः विपरीत है एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि, आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कारण बताओं सूचना पत्र का विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया था जिसमें उत्खनन किया जाना अस्वीकार करते हुये निवेदन किया था कि आवेदकगण के विरूद्व स्थापित की गयी कार्यवाहीं समाप्त की जायें।

4. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष शासन की ओर से नायब तहसीलदार एवं खनिज निरीक्षक के कथन कराये गये थे दोनो साक्षियों के कूट परीक्षण के पश्चात यही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिये था कि आवेदकगण द्वारा उत्खनन किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

5. यह कि, जिस प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकगण के विरूद्व कार्यवाहीं प्रारंभ की गयी उस प्रतिवेदन में एवं शासन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षीगण के कथनो में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं आया है कि आवेदकगण को उत्खनन करते हुये मौके पर पाया गया अथवा मौके पर कोई खनिज पत्थर जप्त किया गया खनिज निरीक्षक ने अपने मूल कथन में मात्र यह कहा है कि पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर अवैध उत्खननकर्ता के नाम को पंजीबद्व किया गया जिस पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर खनिज निरीक्षक ने अपना कथन दिया है उस पटवारी को साक्ष्य में प्रस्तुत न किये जाने के कारण पटवारी का तथाकथित प्रतिवेदन एवं उस प्रतिवेदन के आधार पर खनिज निरीक्षक द्वारा किये गये कथन का साक्ष्य में कोई मूल्य नहीं है। पंचनामे को किसी भी व्यक्ति द्वारा तस्दिक नहीं किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / मुरैना / भू0राज0 / 2017 / 2515

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6—9—2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त चम्बल संभाग के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 03—5—2017 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि खनिज निरीक्षक मुरैना एवं अपर तहसीलदार बानमोर द्वारा ने औचक निरीक्षण किया जहां प्रश्नाधीन सर्वे कमांक पर पत्थर उत्खनन करते हुये पाया गया। मौके पंचानामा सहित प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरैना द्वारा प्रकरण कायम कर आवेदकों कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तथा आवेदक के जबाव प्राप्त करने के उपरांत अवैध उत्खनन सिद्ध पाते हुये आदेश पारित कर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को कलेक्टर मुरैना एवं अपर आयुक्त चम्बल द्वारा स्थिर रखा। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होने से यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	